1/10/24 पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में वकील प्रार्थी द्वारा आवेदिका पर मे किया किया कि उक्त प्रकरण में SDO द्वारा उक्त आवेदनी को विक्रय कर दी गई। उक्त पत्रावली की कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। प्रकरण में किसी प्रकार कि कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। अतः प्रकरण चिरंजीलाल कुमार दोकर दायिका प्रकार है।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला-भीलवाड़ा

उक्त प्रकरण में डिक्रीधारक द्वारा उक्त आसामी को विक्रय कर दी गिरवी कारण उक्त पत्रावली में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चाहता है।

Chitra Meena